पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2009 ई0 (आषाढ़ 20, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–28

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	271–276	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	231–233	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

02 जुलाई, 2009 ई0

संख्या 519/XX(1)/100/सी0बी0आई0 जांच/2008–दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, सन् 1946) की धारा 6 के प्राविधानों के अनुसरण में, उत्तराखण्ड के राज्यपाल, एतद्द्वारा कु0 दीपा बिष्ट, पुत्री श्री देवीदत्त बिष्ट, प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0 (उर्दू मीडियम), रानीखेत, अल्मोड़ा की मृत्यु के संबंध में कोतवाली रानीखेत में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0–299/2008, धारा 306, 376 भा0द0वि0 बनाम सुमित कुमार के अपराध से जुड़े हुए या उससे संबंधित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध (अपराधों) के अन्वेषण के लिए उत्तराखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में शक्ति और अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु सहमति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव, गृह।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 519/XX(1)/100/CBI/2008,** dated July 02, 2009 for general information :

NOTIFICATION

July 02, 2009

No. 519/XX(1)/100/CBI/2008--In pursuance of the provisions of section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of Uttarakhand is pleased to accord consent to extend the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for investigation of Crime No. 299/2008, registered at Kotwali Ranikhet, Distt. Almora, Uttarakhand under section 306, 376 of the I.P.C. relating the death of Km. Deepa Bisht D/o Shri Devidatt Bisht, Headmaster, Government Primary School (Urdu Medium) Ranikhet, Distt. Almora, or abetment and conspiracy in relation thereto or in connection with the aforesaid offence and any other offence/offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By Order,

SUBHASH KUMAR,
Principal Secretary, Home.

राजस्व अनुभाग–2

अधिसूचना

विविध

17 जून, 2009 ई0

संख्या 1032/XVIII(2)/2009–उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 की धारा 49 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल डिप्टी कलेक्टर सदर, देहरादून को सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखे गये जनपद देहरादून के ग्रामों के सम्बन्ध में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सहायक अभिलेख अधिकारी नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1032/XVIII(2)/2009,** dated June 17, 2009 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

June 17, 2009

No. 1032/XVIII(2)/2009--In exercise of the powers under section 49 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (Uttar Pradesh Act No. 3 of 1901) (The Uttaranchal Adaptation and Modification Order), 2001, the Governor is pleased to appoint Deputy Collector, Sadar, Dehradun as Assistant Record Officer from the date of taking over charge in respect of villages of Dehradun under survey and record operation.

By Order,

SUBHASH KUMAR,
Principal Secretary, Revenue.

संख्या : 3396/VII-II(08)/143–उद्योग/2003

प्रेषक,

श्री पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग, उत्तराखण्ड,
उद्योग निदेशालय,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 30 जून, 2009

विषय : प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर एवं खादी सहित) विनिर्माणक उद्यमों (**Manufacturing Enterprises**) को शासकीय क्रय में मूल्य/क्रय वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 502/औ0वि0/03–143–उद्योग/2003, दिनांक 23 अगस्त, 2003 से प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को शासकीय क्रय में मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता दिये जाने सम्बन्धी नीति को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 177/XXXVII(7)/2008, दिनांक 1 मई, 2008 से प्राख्यापित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2008 के अध्याय–2, प्रस्तर–7 में दी गई व्यवस्था के अधीन प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु, (खादी एवं कुटीर सहित) औद्योगिक इकाईयों को शासकीय क्रय में मूल्य/क्रय वरीयता दिये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् मूल्य/क्रय वरीयता नीति निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. शब्दावली "मूल्य वरीयता एवं क्रय वरीयता" से तात्पर्य शासकीय क्रय में निविदा के समय प्रदेश की सूक्ष्म तथा लघु, विनिर्माणक उद्यमों (Manufacturing Enterprises) को दी जाने वाली वरीयता से होगा।
2. मूल्य वरीयता केवल प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु (खादी एवं कुटीर सहित) विनिर्माणक उद्यमों को ही अनुमन्य होगी।
3. क्रय एवं मूल्य वरीयता की पात्रता के निर्धारण हेतु उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा पृथक से योजनान्तर्गत पंजीकरण किया जायेगा, ताकि उत्पादनरत् एवं पात्र उद्यमों की परिधि में आने वाले विनिर्माणक (Manufacturing) सूक्ष्म तथा लघु (खादी एवं कुटीर सहित) उद्यमों को मूल्य/क्रय वरीयता का लाभ मिल सके।
4. प्रदेश के विनिर्माणक उद्यमों द्वारा उत्पादित सामग्री की गुणवत्ता, उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का आंकलन क्रयकर्ता विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा एवं इस विषय पर क्रयकर्ता विभाग/संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

5. यदि क्रयकर्ता विभाग/संस्था आवश्यकता समझे तो उत्पादक उद्यमों की उत्पादन क्षमता के आंकलन/निर्धारण हेतु आवश्यकतानुसार उद्योग विभाग से सहयोग प्राप्त कर सकता है। इस हेतु उद्योग निदेशालय द्वारा लघु उद्योग सेवा संस्थान/एन0एस0आई0सी0, जिला उद्योग केन्द्र एवं सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुए समिति का गठन किया जायेगा।

6. प्रदेश के विनिर्माणक सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए मूल्य वरीयता नीति–

(क) यदि आई0एस0आई0, आई0एस0ओ0 अथवा अन्य विशेषीकृत उत्पादों को खरीदे जाने की आवश्यकता हो, तो आवश्यकता का विवरण निविदा में ही दे दिया जाय।

(ख) शासकीय क्रय में दरों की तुलना प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के सभी विनिर्माणक उद्यमों के मूल्य वर्धित कर/व्यापार कर सहित एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन के आधार पर की जायेगी एवं इन्हीं एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन दरों पर मूल्य वरीयता दी जायेगी, लेकिन जिन प्रकरणों में नियमावली के प्राविधानों के अनुसार विधिक मामलों में वित्त विभाग के द्वारा उक्त श्रेणी के उद्यमों को छूट दी गई है। उनमें दी गई छूट के अनुसार व्यवस्था लागू रहेगी।

(ग) प्रदेश के विनिर्माणक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अन्य सभी उद्यमों, प्रदेश से बाहर के सभी श्रेणी के उद्यमों की तुलना में 10 प्रतिशत तक मूल्य वरीयता इस शर्त के अधीन दी जायेगी कि उक्त श्रेणी की जो विनिर्माण फर्म जो निविदा हेतु निर्धारित टैक्निकल क्वालिफिकेशन्स की पूर्ति करें तथा जिसमें सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता निहित न हो, इसके अतिरिक्त इन इकाईयों को अन्य किसी प्रकार की भी छूट यथा निविदा प्रक्रिया में भाग न लेने तथा विडमनी जमा न करने आदि से संबंधित छूट अनुमन्य नहीं होगी, को दी जायेगी। उद्यमों से क्रय उनकी दी हुई दर पर किया जायेगा, यदि वह न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत तक अधिक हो।

(घ) खरीदी जाने वाली मात्रा को एक से अधिक निविदादाताओं के मध्य, उद्यमों की आपूर्ति क्षमता के अनुरूप विभाजित करने की आवश्यकता की स्थिति में उपरोक्त प्रस्तर–6 के (ग) पर वर्णित उद्यमों को मूल्य वरीयता प्रदान करते समय उद्यमों द्वारा निविदा में अंकित न्यूनतम मूल्य पर ही क्रय आदेश एक समान न्यूनतम मूल्य पर दिये जायेंगे जिसकी सहमति ऐसी उद्यमों को देनी होगी।

(ङ) प्रदेश व प्रदेश के बाहर के वृहत एवं मध्यम उद्योगों को कोई क्रय एवं मूल्य वरीयता नहीं दी जायेगी।

7. क्रय में प्रथम वरीयता प्रदेश की सूक्ष्म, खादी ग्रामोद्योग हस्तशिल्प तथा हथकरघा विनिर्माणक उद्यमों एवं द्वितीय वरीयता लघु विनिर्माणक उद्यमों को दी जायेगी। प्रदेश के सभी उद्यमों को सामग्री आदेश, उद्यमों की आपूर्ति क्षमता के अनुसार आवंटन के बाद शेष बची सामग्री मात्रा का आवंटन प्रदेश से बाहर के उद्यमों को किया जायेगा एवं दरों की तुलना, मूल्यवर्धित कर/व्यापार कर सहित एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन दरों के आधार पर की जायेगी।

8. शासकीय क्रय का तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन के अधीन समस्त शासकीय विभागों/निगमों/विकास प्राधिकरणों/संस्थानों आदि के द्वारा किये जाने वाले क्रय से होगा। यह आदेश विश्व बैंक द्वारा पोषित योजनाओं में लागू नहीं होंगे। चिकित्सा विभाग तथा अन्य विभागों जहां पर विशेष प्रतिबन्धों के अधीन विशेष गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया जाता है, अपने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रतिबन्ध, जैसा उचित समझें, क्रय के समय लगा सकते हैं।

9. यदि उत्तराखण्ड में स्थित सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं अथवा उनके द्वारा संचालित उद्यम सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की श्रेणी में आती हैं, तो उन पर भी उपरोक्त प्राविधान लागू रहेंगे।

10. मूल्य तथा क्रय वरीयता की यह नीति दिनांक 31 मार्च, 2013 अथवा अग्रिम शासनादेश जारी होने तक लागू रहेगी।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या : 2260/XXVI(7)/2009, दिनांक 26 जून, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

नियुक्ति

29 जून, 2009 ई0

संख्या 1314/XXX–1–09–26(8)/2009–उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2008 के आधार पर चयनित श्रीमती ज्योत्सना को श्री राज्यपाल महोदय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन), चम्पावत के पद पर वेतनमान रुपया 9000–250–12,750–300–13,150–350–14,550/– में इस प्रतिबन्ध के साथ नियुक्ति/तैनाती प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि यदि श्रीमती ज्योत्सना का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट न्यायिक सेवा हेतु उपर्युक्त नहीं पायी जाती है तो उनकी सेवाएं नियमानुसार समाप्त कर दी जायेंगी। श्रीमती ज्योत्सना को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

2–श्रीमती ज्योत्सना की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 84 (एस0बी0)/2009 श्रीमती ज्योत्सना बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 46 (एस0बी0)/2009 शालिनी दादर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 4542/2009 शिवानी नाहर बनाम विनोद कुमार बर्मन एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम आदेशों के अधीन होगी।

आज्ञा से,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

आदेश

25 जून, 2009 ई0

संख्या 1457/X–2–2009–8(52)/2001–वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित, वर्ष 2006) की धारा 4(1) (खख) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए कॉलम–2 में अंकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित जनपद/क्षेत्र/प्रभाग हेतु, उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त करते हैं:–

क्र0सं0	नाम एवं पता	जनपद/संरक्षित क्षेत्र/प्रभाग का नाम
1	2	3
1.	श्री राजीव मेहता, पूर्व सदस्य, राज्य वन्य जीव बोर्ड, चित्रा सिनेमा, हरिद्वार	राजाजी राष्ट्रीय पार्क
2.	श्री बिजेन्द्र सिंह, 28, सुन्दर नगर, नई दिल्ली तथा वायक्लिफ, मसूरी	कार्बेट टाइगर रिजर्व
3.	सेनानी, 12वीं वाहिनी, आई0 टी0 बी0 पी0 (पदेन), महीडाण्डा, उत्तरकाशी	गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क
4.	श्री ताजवर सिंह रावत, सेवानिवृत्त प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, निकट भारतीय स्टेट बैंक, गोपेश्वर, चमोली	चमोली जनपद
5.	श्री तेजराम सेमवाल, जन प्रयास सेवा संस्थान, घनस्याली, टिहरी गढ़वाल	टिहरी वन प्रभाग
6.	श्री अरण्य रंजन, जन जागृति भवन, जाजल, टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर टिहरी वन प्रभाग

1	2	3
7.	कु0 स्वराज विद्वान, ग्राम मुखवा, पो0 ऑ0 हर्षिल, तहसील भटवाड़ी, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी वन प्रभाग
8.	श्री जगन्नाथ चौड़ाकोटी, ग्राम आमखर्क, पो0 ऑ0 सूखी बाग, चम्पावत	चम्पावत वन प्रभाग
9.	श्री देव सिंह एडवोकेट, ग्राम सोबला, तहसील मुनसरी, चम्पावत	अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य
10.	श्री चन्द्र सिंह नेगी, प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान, स्नातकोत्तर विद्यालय, पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ वन प्रभाग
11.	श्री शेखर पुत्र श्री बच्चीराम जोशी, ग्राम गाड़ीखेत, पो0 ऑ0 छानी, बागेश्वर	बागेश्वर वन प्रभाग
12.	श्री जोगेन्दर सिंह बिष्ट, लोक चेतना मंच, रानीखेत	अल्मोड़ा वन प्रभाग
13.	श्री संजय सहगल	हरिद्वार वन प्रभाग
14.	श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे, जनपद नैनीताल	नैनीताल वन प्रभाग
15.	श्री नरेन्द्र सिंह मानस	तराई पश्चिमी वन प्रभाग
16.	श्री सुरेश राठौर, उपाध्यक्ष अनुसूचित उत्तराखण्ड	देहरादून वन प्रभाग
17.	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, छडावल नया आवास, हल्द्वानी	हल्द्वानी वन प्रभाग
18.	श्री पुनीत मित्तल पुत्र श्री नरेन्द्र मित्तल, देहरादून	मसूरी वन प्रभाग
19.	स0 दलजीत सिंह पुत्र स0 शमशेर सिंह, ऊधमसिंह नगर	चकराता वन प्रभाग

2–प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के नियंत्रण में कार्य करेंगे। अधिनियम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियुक्त व्यक्तियों को पहचान–पत्र जारी किये जाने व अन्य संगत कार्यवाही नियमानुसार मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा की जाएगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित एक वर्ष की अवधि के पश्चात् राज्य वन जीव सलाहकार परिषद् की सिफारिश पर नवीनीकरण के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

3–राज्य सरकार अपने विवेक से किसी भी समय, बिना कारण बताये, किसी अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक की नियुक्ति को रद्द कर सकती है।

आज्ञा से,

आर0 के0 मिश्र,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/351–भाग 1–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2009 ई0 (आषाढ़ 20, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 18, 2009

No. 94/XIV/31/Admin. A/2008--Sri Madan Ram, Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, Distt. Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 26.05.2009 to 09.06.2009.

June 18, 2009

No. 95/UHC/XIV/63/Admin. A--Ms. Neetu Joshi, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar, is hereby sanctioned medical leave for 03 days *w.e.f.* 04.05.2009 to 06.05.2009.

June 18, 2009

No. 96/UHC/XIV/63/Admin. A--Ms. Neetu Joshi, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar, is hereby sanctioned medical leave for 03 days *w.e.f.* 03.06.2009 to 05.06.2009.

June 19, 2009

No. 97/UHC/XIV/08/Admin. A--Sri V.B. Rai, District & Sessions Judge, Nainital, is hereby sanctioned medical leave for 15 days *w.e.f.* 31.05.2009 to 14.06.2009.

June 24, 2009

No. 99/UHC/XIV/35/Admin. A--Km. Kumkum Rani, District & Sessions Judge, Champawat, is hereby sanctioned earned leave for 11 days only w.e.f. 08.06.2009 to 18.06.2009 with permission to prefix 07.06.2009 as Sunday.

June 24, 2009

No. 100/XIV/14/Admin. A/2008--Sri Dharmendra Singh Adhikari, Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 03.06.2009 to 12.06.2009 with permission to suffix 13.06.2009 and 14.06.2009 as 2nd Saturday and Sunday holidays.

June 24, 2009

No. 101/UHC/XIV/51/Admin.A--Sri Hira Singh Bonal, Addl. District & Sessions Judge/ 2nd F.T.C., Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 19.05.2009 to 30.05.2009 with permission to suffix 31.05.2009 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

June 30, 2009

No. 103/UHC/Admin.A/2009--Purusant to the Government of Uttarakhand Notification No. 1314/XXX-1-09-26(8)/2009, dated 29.06.2009, Smt. Jyotsna, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Champawat, in the vacant Court.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General.

July 01, 2009

No. 104/UHC/XIV/71/Admin.A--Smt. Neena Agarwal, 2nd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 15.06.2009 to 24.06.2009 with permission to prefix 13.06.2009 and 14.06.2009 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

July 01, 2009

No. 105/UHC/XIV/40/Admin.A--Smt. Meena Tiwari, District & Sessions Judge, Chamoli, is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 01.06.2009 to 20.06.2009 with permission to prefix 31.05.2009 and to suffix 21.06.2009 as Sunday Holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

July 03, 2009

No. 106/UHC/Admin.A/2009--Sri Naseem Ahmad, Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, Distt. Udhamsingh Nagar is promoted and posted as 4th Addl. Civil Judge (Sr Div.), Dehradun in the pay scale of Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550 in the vacant Court.

July 03, 2009

No. 107/UHC/Admin.A/2009--Sri Abdul Qayyum, Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, Distt. Almora is promoted and posted as 5th Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun in the pay scale of Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550 in the vacant Court.

July 03, 2009

No. 108/UHC/Admin.A/2009--Sri Om Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Vikasnagar, Distt. Dehradun is promoted and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Rishikesh, Distt. Dehradun in the pay scale of Rs. 12,850-300-13, 150-350-15,950-400-17,550 in the vacant Court.

July 03, 2009

No. 109/UHC/Admin.A/2009--Sri Sanjeev Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Srinagar, Distt. Pauri Garhwal is promoted and posted as 2nd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar in the pay scale of Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550 in the vacant Court.

July 03, 2009

No. 110/UHC/Admin.A/2009--Sri Nandan Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, Distt. Pithoragarh is promoted and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar in the pay scale of Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550 in the vacant Court.

July 03, 2009

No. 111/UHC/Admin.A/2009--Sri Kuldeep Sharma, 1st Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Udhamsingh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, Distt. Udhamsingh Nagar, *vice* Sri Naseem Ahmad.

July 03, 2009

No. 112/UHC/Admin.A/2009--Sri Vivek Dwivedi, 1st Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, Distt. Almora, *vice* Sri Abdul Qayyum.

July 03, 2009

No. 113/UHC/Admin.A/2009--Sri Sudhir Kumar Singh, 1st Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Vikasnagar, Distt. Dehradun, *vice* Sri Om Kumar.

July 03, 2009

No. 114/UHC/Admin.A/2009--Sri Manish Kumar Pandey, 1st Addl. Civil Judg (Jr. Div.), Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, Distt. Pithoragarh, vice Sri Nandan Singh.

July 03, 2009

No. 115/UHC/Admin.A/2009--Sri Maninder Mohan Pandey, 2nd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Srinagar, Distt. Pauri Garhwal, *vice* Sri Sanjeev Kumar.

By Order of the Court,

Sd/-

RAVINDRA MAITHANI,

Registrar General.

July 03, 2009

No. 117/UHC/XIV-66/Admin.A--Sri Srikant Pandey, Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 25.05.2009 to 12.06.2009 with permission to prefix 24.05.2009 as Sunday and to suffix 13.06.2009 & 14.06.2009 as 2nd Second Saturday & Sunday Holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

BAR COUNCIL OF UTTARAKHAND, NAINITAL

High Court Campus, Nainital

Phone : 05942-233525

May 26, 2009

विज्ञप्ति

Ref. No. 416/B.C.U.K./2009–"सूचित किया जाता है कि श्री विजय सिंह पुत्र स्व० श्री प्रभु सिंह, निवासी ग्राम सेवलाकलां, पो०ऑ० माजरा, जिला देहरादून को उत्तराखण्ड बार कौंसिल द्वारा दिनांक 09.05.2009 को सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया है एवं उनके द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है"

भवदीय,

योगेन्द्र सिंह चौहान,

अध्यक्ष,

बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड, नैनीताल।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 28 हिन्दी गजट/351–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।